**F. No.1-12/2026/Exam-Dept/ 10798**
**कार्यालय / Office**
**लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली**
**Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill and Training Council, New Delhi**
**परीक्षा अनुभाग / Examination Department**
**वेबसाइट / www.lbspstc.com**
**********

**VERY IMPORTANT-TIME BOUND**

# OFFICE ORDER

**To,**

**The Principal/Director,**
**Affiliated Aided and Private Sector**
**Institutions of the Council.**
**(As per the attached list)**

**Number: Marks & Practical Exam/10798** **New Delhi, Date: 06/05/2026**

**Subject: Imperative order regarding mandatory uploading of practical examination marks of students studying in academic session 2025-2026 by all affiliated colleges/training institutions operating under the control of Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill and Training Council, on the official web portal of the Council in the prescribed format, and the opening of the portal for a limited time period of only two (02) days.**

**Sir/Madam,**

In continuation of the above-mentioned subject, all concerned are hereby informed for their information and necessary compliance that the practical examination conducted under the aegis of **Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill and Training Council for the academic session 2025-26** has been duly and successfully completed in accordance with the schedule prescribed by the Council. Accordingly, it is mandatory and legally necessary as per rules to record the practical examination marks of all the students who appeared in the said examination on the official web portal of the Council in the prescribed format.

Therefore, after due consideration, the Principals/Directors of all affiliated aided and private sector paramedical colleges/training institutions operating under the control of the Council are hereby strictly directed and ordered to ensure mandatory uploading of the practical examination marks of all students of their institution on the official web portal of the **Council from 08/05/2026 to 09/05/2026 (midnight 23:59 hours)** within the limited and final time period of only **02 (two) days.** The said time period shall not be extended under any circumstances.

Secretary
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय
कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadur Shastri Paramedical
Skill and Training Council

The attention of all concerned is specifically drawn and clarified hereby that after the expiry of the prescribed period of 02 (two) days mentioned above, the portal shall not be reopened under any circumstances, reasons or grievances, and it shall not be possible to consider any request letter/representation received in this regard. Therefore, all affiliated colleges/institutions are once again strictly warned and ordered to ensure that the practical examination marks are mandatorily uploaded on the portal only within the prescribed period of **02 (two) days**. It is legally and administratively informed that whichever college/institution shows any kind of delay, negligence or laxity in uploading practical marks on the portal within the prescribed period of **02 (two) days,** the entire examination result of all students studying in such defaulting institutions shall be withheld with immediate effect, and statutory/legal action shall definitely be taken against the concerned defaulting institution and its Principal/Director under the rules, by-laws of the Council and relevant legal provisions in force in India, the entire and sole responsibility for all statutory and administrative consequences whereof shall lie with the Principal/Director and management of the concerned institution. The Council or the undersigned shall bear no responsibility in this regard.

**Therefore, taking the above directions into cognizance with utmost priority and promptness, ensure their complete compliance both literally and in spirit. Any kind of carelessness, negligence, delay or laxity at any level shall not be condoned in this regard, and it shall be treated as direct disobedience of orders and disciplinary action shall be taken accordingly.**

**Enclosure: As above.**

सचिव / Secretary
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय
कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद्
Lal Bahadur Shastri Paramedical
Skill and Training Council

**(Ad. Abhishek Giri)**

**Secretary**

**P.O. No.- Marksheet & Practical Exam / 10798** **Date:- 06 / 05 / 2026**

**Copy to: - Forwarded to the following for information and necessary action.**

1. **The Chairman**, Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill and Training Council, New Delhi — for information.
2. **Examination Department** — for academic cell record and compliance.
3. **I.T. Cell** — for uploading on the Council's website / portal.
4. Office Record.

**(Ad. Abhishek Giri)**

**Secretary**

**F. No.1-12/2026/Exam-Dept/** 10798

**कार्यालय / Office**

**लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली**

**Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill and Training Council, New Delhi**

**परीक्षा अनुभाग / Examination Department**

**वेबसाइट / www.lbspstc.com**

**********

**अति–महत्वपूर्ण / समयबद्ध**

# कार्यालय आदेश

सेवा में,

प्राचार्य / निदेशक,

काउंसिल से सम्बद्ध

अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की संस्थाएं।

(संलग्न सूची के अनुसार)

संख्याः– अंकतालिका एवं प्रै.परीक्षा / 10798 नई दिल्लीः दिनांकः–06 / 05 / 2026

**विषयः– लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल स्किल एंड ट्रेनिंग काउंसिल के नियंत्रणाधीन संचालित समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों / प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025–2026 में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की संपन्न हुई प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांकों को काउंसिल के आधिकारिक वेब पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाने तथा पोर्टल को केवल दो (०२) दिवस की सीमित समयावधि हेतु खोले जाने के संबंध में अपरिहार्य आदेश।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के क्रम में एतद्द्वारा सर्वसंबंधित को सूचनार्थ एवं तद्नुसार अनुपालनार्थ अवगत कराया जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल स्किल एण्ड ट्रेनिंग काउंसिल, के तत्वावधान में शैक्षणिक सत्र 2025–26 हेतु आयोजित प्रायोगिक परीक्षा काउंसिल द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप विधिवत् एवं सकुशल सम्पन्न हो चुकी है। तदनुसार, उक्त परीक्षा में सम्मिलित हुए समस्त छात्र / छात्राओं के प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांकों को काउंसिल के आधिकारिक वेब पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में दर्ज किया जाना नियमानुसार अपरिहार्य एवं विधिक रूप से आवश्यक है।

अतः सम्यक् विचारोपरांत एतद्द्वारा काउंसिल के नियंत्रणाधीन संचालित समस्त सम्बद्ध अनुदानित एवं निजी क्षेत्र के पैरामेडिकल महाविद्यालयों / प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्या / धनिदेशकों को सख्ती से निर्देशित एवं आदेशित किया जाता है **कि वे अपने संस्थान से सम्बन्धित समस्त छात्र–छात्राओं के प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांकों को काउंसिल के आधिकारिक वेब पोर्टल पर दिनांक 08 / 05 / 2026 से 09 / 05 / 2026 (मध्यरात्रि 23:59 बजे) तक केवल 02 (दो) दिवस** की सीमित एवं अंतिम समयावधि के भीतर अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करें। उक्त समयावधि किसी भी दशा में विस्तारित नहीं की जायेगी।

नोट:- समस्त संस्थानों को इस माध्यम से कड़ाई से सुनिश्चित कर दिया जाता है कि अंतिम तिथि के पश्चात अन्य किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं है।

A. Giri
06/05/26

सचिव / Secretary
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय
कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadur Shastri Paramedical
Skill and Training Council

एतद्द्वारा सर्वसंबंधित का विशेष रूप से ध्यानाकर्षण कराते हुए स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त निर्धारित **02 (दो)** दिवस की समयावधि की समाप्ति के पश्चात्, किसी भी परिस्थिति, कारण अथवा परिवेदना पर पोर्टल पुनः नहीं खोला जायेगा तथा इस संदर्भ में प्राप्त किसी भी प्रकार के अनुरोध–पत्र/प्रत्यावेदन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। अतएव समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों को पुनः कठोरता से चेतावनी सहित आदेशित किया जाता है कि केवल 02 (दो) दिनों की उक्त निर्धारित समयावधि के भीतर ही पोर्टल पर प्रायोगिक परीक्षा के अंक अनिवार्यतः अपलोड करना सुनिश्चित किया जाये। विधिक एवं प्रशासनिक रूप से सूचित किया जाता है कि जिस किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा निर्धारित 02 (दो) दिनों की समयावधि के भीतर पोर्टल पर प्रायोगिक अंक अपलोड करने में किसी भी प्रकार का विलम्ब, उपेक्षा अथवा शिथिलता बरती जायेगी, उन समस्त दोषी संस्थाओं में अध्ययनरत समस्त छात्र–छात्राओं का सम्पूर्ण परीक्षा परिणाम तत्काल प्रभाव से रोक दिया जायेगा तथा सम्बन्धित दोषी संस्था एवं उसके प्रधानाचार्य/निदेशक के विरूद्ध काउंसिल के नियमों, उपनियमों एवं भारत में प्रवृत्त सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक/कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित रूप से अमल में लायी जायेगी, जिसके समस्त वैधानिक एवं प्रशासनिक परिणामों का सम्पूर्ण एवं एकमात्र उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था के प्रधानाचार्य/निदेशक एवं प्रबंधन का होगा। इस संदर्भ में काउंसिल अथवा अधोहस्ताक्षरी का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

**अतएव उक्त निर्देशों को सर्वोच्च प्राथमिकता एवं तत्परता के साथ संज्ञान में लेते हुए, इनका पूर्ण रूप से अक्षरशः एवं भावार्थतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की लापरवाही, उपेक्षा, विलम्ब अथवा शिथिलता किसी भी स्तर पर क्षम्य नहीं होगी एवं इसे आदेशों की प्रत्यक्ष अवहेलना मानते हुए तदनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।**

**संलग्नकः– यथोपरि।**

भवदीय,

(एड० अभिषेक गिरि)

सचिव।

**पृ0सं0–अंकतालिका एवं प्रै.परीक्षा/10798** **तद दिनांकः–06/05/2026**

**प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. **अध्यक्ष महोदय,** लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल स्किल एंड ट्रेनिंग काउंसिल, नई दिल्ली–सूचनार्थ।
2. **परीक्षा विभागः**–शैक्षणिक प्रकोष्ठ–अभिलेख एवं अनुपालन हेतु।
3. **आई.टी. प्रकोष्ठ**–परिषद की वेबसाइट/ पोर्टल पर अपलोड हेतु।
4. **कार्यालय अभिलेख।**

सचिव/Secretary
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय
कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadur Shastri Paramedical
Skill and Training Council

(एड० अभिषेक गिरि)

सचिव।